न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 04/23 सन् 2023
आरसीएमएस संख्या 2023/77
बउनवानी:–

1. रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
2. सुरेश पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
3. संतरा पुत्र बाबूलाल
4. भूरी उर्फ कस्तूरी पत्नि बाबूलाल समस्त जाति नाथ नि0 शहर सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कन्हैयालाल उर्फ कालू (फोत)
1/1. सुशीला पत्नि स्व0 कन्हैया उर्फ कालू
1/2. योगेश पुत्र स्व0 कन्हैया उर्फ कालू उम्र 16 वर्ष,
1/3. कालू पुत्र स्व0 कन्हैया उर्फ कालू उम्र 14 वर्ष,
दोनो नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति सुशीला देवी पत्नि कन्हैया
2. दीपक पुत्र मिठ्ठूलाल
3. महेन्द्र पुत्र मिठ्ठूलाल
4. सुनिता पुत्री मिठ्ठूलाल समस्त जाति नाथ नि0 आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
5. उप पंजीयन अधिकारी सवाईमाधोपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2181 निर्णय दिनांक 22.9.2011 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:– 1. श्री राधेश्याम योगी /प्रियंका धनावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री सत्येन्द्र गोयल, श्री हरिप्रसाद योगी — वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– दिनांक 10.12.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 2181 निर्णय दिनांक 22.9.2011 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अपीलान्टगणो के पूर्वजो की कृषि भूमि पुश्तैनी [illegible] 164 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा बारानी राजस्व ग्राम आलनुपर जोगीपुरा मे [illegible] अपीलार्थीगण यही के निवासी है किन्तु वर्तमान मे शहर मे रहते है। अपीलान्ट का सजरा [illegible] इस प्रकार रहा है जीवन नाथ–गौरी नाथ उर्फ गोरया नाथ–बज[illegible] बाबू जो कि अपीलान्टगण का पिता है। यह है कि खाता संख्या 207 कुल किता 16 [illegible] ग्राम आलनुपर सवाई[illegible] मे स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:59 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

है एवं रेस्पो0 चालाक व चुतुर किस्म के व्यक्ति है, जिन्होने जानबूझकर बजरंगा पुत्र गोरी नाथ के नाम की वाके ग्राम आलनपुर मे स्थित कृषि भूमि को हडपने की नियत से राजस्व अधिकारियो से मिलकर फर्जी तरीके से सजरा तैयार कर अपने नाम नामा0 खुलवा लिया है जबकि उक्त भूमि का नामा0 मद संख्या 3 में अंकित सजरा खानदान के अनुसार हम अपीलान्टगण के नाम से खुलना चाहिए। क्योकि रेस्पो0 के पिताजी का नाम बजरंगा पुत्र माधो नाथ था जिन्होने बजरंगा के पिता माधो का नाम लुप्त करवाकर बजरंगा का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जिसमे बजरंगा के पिता का नाम अंकित नही किया तथा उसी आधार पर राजस्व अधिकारियो से मिलकर बजरंगा पुत्र गौरी की उक्त आराजीयात का नामा0 अपने नाम करवा लिया लिया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 का सजरा क्रमशः बजरंगा पुत्र माधो के वारिसान मिटठू लाल, कन्हैया, रामप्यारी व अन्य रेस्पो0 है। उक्त सजरे के अनुसार बजरंगा पुत्र माधो के ये विधिवत वारिसान है जिन्होने छल से बजरंगा पुत्र गोरी बनकर अपीलान्टान की उक्त आराजीयात ख0न0 नम्बरान का गलत सजरा तहसीलदार के समक्ष पेश कर नामा0 अपने नाम खुलवा लिया है। खाता संख्या 207 के ख0न0 694 रकबा 0.18 है0, ख0न0 695 रकबा 0.27 है0, ख0न0 1928 रकबा 0.72 है0 , ख0न0 1929 रकबा 0.36है0 ख0न0 1932 रकबा 0.04है0, 1940 रकबा 0.01 है0 ख0न0 1941 रकबा 0.20 है0 ख0न0 1954 रकबा 0.28 है0 ख0न0 1955 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1964 रकबा 0.03 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.26 है0 राजस्व ग्राम आलनपुर में स्थित है जिसका नामा0 विधिवत रूप से बजरंगा पुत्र गोरी के विधिक वारिसान अपीलान्टगण के नाम नही खोलकर बजरंगा पुत्र माधो के नाम खोला गया है जो गलत है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 द्वारा पूर्व में इसी प्रकार चालाकी व छल से गोरी पुत्र जीवण के फर्जी वारिसान बनकर ख0न0 1953 रकबा 0.01 है0, 1956 रकबा 0.02 है, ख0न0 1957 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि का नामा0 संख्या 2529 दिनांक 14.6.2019 को अपने नाम करवा लिया था जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 14/2019 कन्हेया बनाम मिटठूलाल के नाम से दर्ज होकर दिनांक 13.11.2019 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर को रिमाण्ड की गयी है। ग्राम आलनपुर मे बजरंगा नाम के 3–4 व्यक्ति होने का गलत फायदा उठाकर लोगों की जमीने हडपने की नियत से रेस्पो0 द्वारा राजस्व रिकार्ड मे बजरंगा पुत्र माधो का नाम दर्ज करवा लिया है। ख0न0 1967रकबा 0.14 है0 बजरंगा पुत्र माधो के नाम दर्ज रिकार्ड है। रेस्पो0 द्वारा अपने पिता के नाम का नाजायज फायदा उठाकर गरीबो की जमीनो को हडपने के लिए एक गिरोह बना रखा है ओर कुछ अधिकारियों से मिलकर अपने नाम नामा0 खुलवाकर भू माफियो को कम दामो मे बेच देते है। दिनांक 4.4.2023 को अपीलान्ट अपने खेतो पर काम रहे थे तब रेस्पो0 भू माफिया को लेकर आया एवं जमीन को खरीदना बताते हुए जमीन पर आने से मना करने पर पटवारी हल्का के पास दिनांक 5.4.2023 को रिकार्ड का मालूम करने पर नामा0 संख्या 2181 की जानकारी प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया

विद्वान रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि उक्त ना[illegible]अनुसार विरासत एवं कब्जे के आधार पर दर्ज किया गया है। यह भी तर्क किया कि [illegible] बजरंगा नाथ के पिता के जायन्दा पिता का नाम तो माधो नाथ ही था किन्तु वह [illegible]री नाथ के गोद गया था कथन के समर्थन में एक शपथ पत्र दिनांक 19.6.1943 पेश किया गया जिसमे बजरंगा को गौरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:59 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

नाथ का दत्तक पुत्र (पिसरे मुतबन्ना) अंकित है। इस प्रकार बजरंगा पुत्र माधोनाथ दत्तक पुत्र गौरी नाथ होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायलय द्वारा बजरंगा पुत्र गोरया नाथ की विरासत का नामा0 संख्या 2181 दिनांक 22.9.2011 हम रेस्पो0 के नाम खोला गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। रेस्पो0 के पिता बजरंग नाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र में त्रुटिवश मृतक के पिता का नाम अंकित होने से रह गया था, उक्त त्रुटि को नगर परिषद द्वारा पुनः कम संख्या 926 दिनांक 26.3.2021 पर दुरूस्त कर बजरंगा नाथ पुत्र माधो नाथ के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची वर्ष 1979 के कस. 1088 बाबू नाथ पुत्र मोतीलाल, क्र.स.1086 पर मोतीलाल पुत्र मंगल नाथ अंकित है अर्थात उक्त मतदाता सूची के अनुसार अपीलान्ट के पिता का नाम मोतीनाथ व मोती नाथ के पिता का नाम मगंलनाथ है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष दिये गये बयानो मे भी स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट के पिता बाबूलाल के दादा के पिता मोती नाथ के पिता मंगल नाथ है जबकि प्रस्तुत इस अपील में मद संख्या तीन में अपीलान्ट द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत की है उसमे मंगल नाथ जो कि अपीलान्ट का दादा है उसका नाम ही विलोपित कर दिया है। यह भी तर्क दिया कि मद संख्या 3 में अंकित वंशावली मे बजरंग नाथ को दादा ओर गोरी उर्फ गोरया नाथ को परदादा बताया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा माननीय जिला एवं सैशन जज के समक्ष प्रस्तुत दावा संख्या 31/20 के मद संख्या 5 में कृषि भूमि साबिक ख0न0 501 एवं हाल ख0न0 1952 को अपनी पुश्तेनी कृषि भूमि बताया है जो गणेश नाथ पुत्र टुण्डा नाथ के नाम से है जिसका नामा0 अपीलार्थी के नाम बतौर पुश्तैनी वंशज खुला है जिसमे अपीलार्थी के दादा गणेश नाथ पुत्र टुण्डा नाथ है। कथन के समर्थन मे दावा संख्या 31/20 एवं भूमि की जमाबन्दी इत्यादि पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजो से यह बखूबी साबित है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन है इसलिए खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि प्रकरण मे वारिसान की जॉच करवाया जाकर यह सुनिश्चित करवाया जाना उचित समझते है कि बजरंगा पुत्र गोरया एवं बजरंगा पुत्र माधो एक ही व्यक्ति है अथवा अलग अलग व्यक्ति है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा कोई जॉच की गयी हो ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नही है। रेस्पो. के द्वारा बहस के दौरान यह यह कथन किया गया कि आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि पर उनका कब्जा है, परन्तु केवल कब्जे के आधार पर रेस्पो0 का उक्त भूमि पर अधिकार नही माना जा सकता है। उपरोक्त तथ्यो की जॉच हेतु प्रकरण तहसीलदार को पुनः परीक्षण हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार [illegible] इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि बजरंगा पुत्र गोरया [illegible] बजरंगा पुत्र माधो एक ही व्यक्ति है अथवा अलग अलग व्यक्ति होने से संबंधी तथ्यों [illegible] जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:59 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner